

(क) मैसूर टोर्बेको लिमिटेड बंगलौर ने लाइसेंस के लिए आवेदन कब दिया था और इस कम्पनी ने कबसे काम शुरू किया ;

(ख) उक्त कम्पनी की स्थापना की शर्तें क्या हैं और इसमें किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) जिस समय से इस कम्पनी ने काम शुरू किया, उस समय से अब तक उससे विभिन्न वस्तुओं का कितना-कितना उत्पादन हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फल्लरहोम अली अहमद) : (क) मैसूर टोर्बेको लिमिटेड तम्बाकू की पत्तियों के अभिसाधन और अभि-संस्कार का कार्य करने प्रतीत होते हैं। यह उद्योग, (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची में नहीं आता है। अतएव इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). सरकार को कोई सूचना नहीं है।

अशोक लेलैंड लिमिटेड, मद्रास

186. श्री शारदा नन्द :

श्री बंश नारायण सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 148 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास स्थित अशोक लेलैंड लिमिटेड ने किन-किन वस्तुओं के निर्माण के लिए लाइ-सेंस मांगा था ;

(ख) उन्हें लाइसेंस किस तारीख को दिया गया और काम कब चाधू हुआ ;

(ग) क्या इस कम्पनी ने उन वस्तुओं की बजाय जिनके लिए लाइसेंस दिया गया था अन्य

वस्तुओं का निर्माण किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फल्लरहोम अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [पुस्त-कालय में रख दिया गया। देखिए संख्या LT—20/69]

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड,
बम्बई**

187. श्री शारदा नन्द :

श्री बंश नारायण सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 148 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमि-टेड, बम्बई ने किन-किन वस्तुओं के निर्माण के लिए लाइसेंस मागे हैं ;

(ख) उक्त कम्पनी को लाइसेंस किस तारीख को दिया गया था और किस तारीख से कम्पनी ने काम करना शुरू किया ;

(ग) क्या इस कम्पनी ने कुछ ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन किया है जिनके लिए उसे लाइ-सेंस नहीं दिया गया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फल्लरहोम अली अहमद) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।